न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–177/2017

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
.बन्नाराम पुत्र हरखा जाति कुम्हार निवासी चांदेसरा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर	1.हीराराम पुत्र भीखाराम 2.पेमाराम पुत्र धन्नाराम 3.नाथुराम पुत्र फुलाराम 4.हरचन्दराम पुत्र फुलाराम 5.खंगार पुत्र हिमता 6.जेराम पुत्र हिमता 7.तिलोक पुत्र हिमता 8.सुन्दरलाल पुत्र धन्नाराम 9.भीमाराम पुत्र धन्नाराम 10.अर्जुन पुत्र मगाराम उर्फ गिरधारीराम 11. भंवरा पुत्र भीखाराम 12.दानाराम पुत्र भीखाराम 13.पदमाराम पुत्र भीखाराम 14.गिरधारी पुत्र लाभू कुम्हार के कायम मुकाम 14/1 गंगाराम पुत्र गिरधारी 14/2 नारणाराम पुत्र गिरधारी 14/3 जुगता पुत्र गिरधारी समस्त जातियान कुम्हार निवासी चांदेसरा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर 15.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:28 IST
Reason: SelfAttested

[seal: सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा]

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible]

उपस्थिति–

[signature]
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

1.श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 16.01.2023

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम चांदेसरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 714/573 रकबा 75–01 बीघा अवस्थित है। वादी का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खातेदारी भूमि वादी अपना उपयोग–उपभोग करने का अधिकारी है एवं उनका खातेदारी भूमि में अवैध कब्जा व अनुचित निर्माण करने का कोई अधिकारी नही है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की भूमि वादग्रस्त भूमि के सेढा सेढ अवस्थित है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रभावशाली वयक्ति है,जो येन केन तरीके से वादी की कब्जा काश्त भुमि पर लाठी के बल पर कब्जा करने के उतारू थे। जिस पर वादी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का माननीय न्यायालय में आवेदन पेश किया, जो बाद सुनवाई आवेदन स्वीकार हुआ। उक्त आदेश की पालना में नेखमबन्दी कार्यवाही किए जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 का करीब 05 बिस्वा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा रहवासीय ढाणी एवं नाजायज कब्जा वादी की खातेदारी भूमि में होना पाया गया। वादी की ओर से प्रतिवादी को उक्त अवैध कब्जा हटाने के लिए कहने पर उन द्वारा मना किया गया। अतःवादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादपत्र में माफिक संलग्न मौका फर्द के अनुसार जो अवैध व अनुचित अतिक्रमण किया गया है,को हटाया जाकर वादी को सुपुर्द करवानें व प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निधेषाज्ञा जारी करवाने का वाद पेश किया गया है।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:28 IST
Reason: SelfAttested

3.प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 बन्नाराम व पी.डब्ल्यू–2 केवलराम के

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बयानात करवायें गयें। दरतावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी–01 वादग्रस्त भूमि ग्राम चांदेसरा की खेत खसरा संख्या 714 / 573 की जमाबंदी संवत 2073–2076,ई.एक्स.पी–02 इसी ग्राम की नक्शा ट्रेस प्रति, ई.एक्स पी–3 वादग्रस्त भूमि की नेखमबंदी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 18.06.2016 , ई.एक्स पी–4 नेखमबंदी मौका फर्द के संलग्न नक्शा प्रति,ई.एक्स पी–5 ग्राम चांदेसरा की खसरा संख्या 712 / 571 की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक व ई.एक्स पी–6 ग्राम चांदेसरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 712 / 571,749 / 571 की नक्शा ट्रेस प्रति प्रदर्शित करवाई गई।

4.वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम चांदेसरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 714 / 573 रकबा 75–01 बीधा भूमि अवस्थित है। वादी का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी अपनी खातेदारी भूमि में रहवासी ढाणीया,पानी के टांके,पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बने हुए है,उक्त खातेदारी भूमि वादी अपना उपयोग–उपभोग करने का अधिकारी है एवं उनका खातेदारी भूमि में अवैध कब्जा व अनुचित निर्माण करने का कोई अधिकारी नही है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की भूमि वादग्रस्त भूमि के सेढा सेढ अवस्थित है,प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रभावशाली व्यक्ति है जो येन केन तरीके से वादी की कब्जा काश्त भुमि पर लाठी के बल पर कब्जा करने के उतारू थे। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु माननीय न्यायालय ने एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया था,जो मुकदमा संख्या 150 / 2013 पर दर्ज रजिस्टर हुआ ओर बाद सुनवाई वादी का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया। उक्त आदेश की पालना मे तत्कालीन हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरक्षक द्वारा वादग्रस्त भूमि की नेखमबन्दी [illegible] की गई,उक्त कार्यवाही में वादी की खातेदारी भूमि में बिन्दु संख्या 14 व 15 के पास प्रतिवादी संख्या 01 का करीब 05 बिस्वा भूमि एवं बिन्दु संख्या 12 पर प्रतिवादी संख्या 02 [illegible] रहवासी ढाणी व नाजायज कब्जा होना पाया गया, उक्त अवैध कब्जे को हटाकर वादी को सुपुर्द करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

को कहा गया। लेकिन प्रतिवादी लाठी एवं प्रभावशाली होने से वादी को उनकी खातेदारी भूमि का कब्जा सुपुर्द नहीं किया एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने वादी की खातेदारी भूमि जो उन्होंने अतिकमण कर रखा है,का कब्जा सुपुर्द करने से मना कर दिया व कहने लगे कि तुम्हे जो कार्यवाही करनी है, वो कर लो, झगड़ा–फसाद करने पर उतारू हुए। इस कारण वादी की ओर से माननीय न्यायालय में प्रश्नगत भूमि का वाद पेश किया है। अपनी बहस को आगे और जारी रखते हुए कथन किया कि वादी की खातेदारी भूमि, में प्रतिवादी का कोई हक हकूक निहित नही है.लेकिन प्रतिवादी की ओर से किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना अति आवश्यक है। क्योकि नेखमबंदी मौका रिपोर्ट में यह साफ हो चुका है कि वादी की भूमि पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा किया हुआ है,जिसे हटाया जाना उचित है। ऐसी सूरत में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा वादपत्र में माफिक संलग्न मौका फर्द के अनुसार किये गये अवैध कब्जा हटाया जाकर वादी को सुपुर्द करावें एवं प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें,कि वादी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी नहीं करे एवं पुनः जबरन कब्जा नहीं किया जावें।

5.हमनें वादी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात,नेखमबंदी मौका फर्द रिपोर्ट एंव बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम चांदेसरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 714/573 रकबा 75–01 बीधा भूमि वादी की खातेदारी में इन्द्राज है,जो वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रदर्श–01 के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी की ओर से अपनी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा कर रखे अवैध अतिक्रमण को हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करने की मुख्य इस्तदुआ चाही गई है,जो कि तत्कालीन हल्का पटवारी चांदेसरा व भू अभिलेख निरक्षक दुधवा की ने[illegible]दा [illegible] फर्द दिनांक 18.6.2016 में स्पष्ट अंकन किया है,कि वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवा[illegible] संख्या 01 व 02 द्वारा अवैध अतिक्रमण कब्जा कर रखा है और उक्त अवैध कब्जा ह[illegible] के कारण नेखमबंदी की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो पाई थी,अवैध कब्जा प्रदर्श 03 व 04 में दर्शित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हुआ है,जो कि प्रदर्श के अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार फर्द मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है कि वादी की भूमि पर प्रतिवादी पक्ष का अवैध कब्जा कर रखा हैं,जो कि अवैध कब्जा की भूमि को वादी प्राप्त करने का अधिकारी है,उक्त तथ्यों को बल बयानात से मिलता है। प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अपनी ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया और उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवही अमल मे लाई गई थी। इससे प्रतीत होता है कि वादी के वाद को स्वीकार किए जाने की मौन स्वीकृति है। उपरोक्त विवेचन उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6.लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम चांदेसरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 714/573 रकबा 75–01 बीधा भूमि में नेखमबंदी मौका फर्द दिनांक 18.6.2016 प्रदर्श–03 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 02 द्वारा कर रखा अवैध कब्जा हटाया जाकर वादी को सुपुर्द करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 14/3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है,कि वादग्रस्त भूमि में दखलदान्जी नहीं करे। प्रदर्श–03 व 04 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:28 IST
Reason: SelfAttested